अनुसूचित जाति की महिलाओं में महिला अधिकारों के प्रति चेतनता एवं सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(आगरा नगर के विशेष सन्दर्भ में)

दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा की पीएच॰ डी॰ (समाजशास्त्र) की उपाधि हेतु प्रस्तावित रूपरेखा

2018

पर्यवेक्षक	शोधार्थिनी
प्रो॰ बन्दना गौड़	मोनिका सिंह
विभाग– समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान	
समाज विज्ञान संकाय	

संकाय प्रमुख	विभागाध्यक्ष
प्रो॰ एस. पी श्रीवास्तव	प्रो॰ पूर्णिमा जैन
विभाग– अर्थशास्त्र	विभाग–समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान
समाज विज्ञान संकाय	समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड युनिवर्सिटी) दयालबाग,आगरा–282005

भूमिकाः—

अधिकारः—

सामान्य शब्दों में अधिकार मनुष्य द्वारा किये गये वे सामान्य दावे है जिन्हे सभी सभ्य समाजों में व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा ये राज्य द्वारा प्रदान किये जाते है। लॉस्की के अनुसारः—"अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियॉ है जिनके बिना सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नही कर सकता।" टी एच ग्रीन के अनुसारः—"अधिकार ऐसी शक्तियाँ है जो मनुष्य की योग्यता एवं नैतिक विकास के लिए उपयोगी है।" बेनी प्रसाद के अनुसारः—"अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों से अधिक कुछ भी नही जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक एवं अनुकूल है।"

अतः मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जिसके हकदार सभी मनुष्य है चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग एवं वर्ग का हो परन्तु इसके बावजूद भी आज हम पूरे विश्व में कही न कही किसी न किसी रूप में अधिकारों का हनन होते हुए देखते है। हर कमजोर वर्ग कभी न कभी इसकी चपेट में आ ही जाता है महिलाएँ इसमें विशेष रूप से आती है प्रकृति द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गयी है लेकिन इन शक्तियों का स्वयं एवं समाज के हित में कार्य करने के लिए वाह्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अधिकार की अवधारणा यह व्यक्त करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह प्राकृतिक अधिकार यह है कि उसे सम्मान एवं गरिमामय जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए । मानव अधिकारों की सर्वव्यापी व्यवस्था का उद्देश्य सभी समाजों में व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए परिस्थितियों का पुर्ननिर्माण एवं पुर्नपरीक्षण करना है। अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मानवोचित गुण होने के कारण प्राप्त हो जाते है तथा ये किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी देते है।

अधिकार के प्रकार :— अधिकार के निम्नलिखित प्रकार है—

1 कानूनी अधिकारः—कानूनी अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार है। इस तरह के अधिकारों के उल्लंघन में कानूनी अदालत की शरण ली जा सकती है। इन अधिकारों को व्यक्तियों के साथ साथ सरकार के विरूद्ध भी लागू किया जा सकता है। ये अधिकार भी सभी नागरिको को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। कानूनी अधिकार तीन प्रकार के होते है—

(अ) नागरिक अधिकारः—यह व्यक्ति से सम्बंधित वह अधिकार है जिन्हे सभ्य जीवन की अनिवार्य शर्त भी कहा जा सकता है प्रमुख नागरिक अधिकार निम्न है

- जीवन का अधिकार
- स्वतन्त्रता का अधिकार
- समानता का अधिकार
- सम्पत्ति का अधिकार
- परिवार बनाने का अधिकार
- अभिव्यक्ति का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार

(ब) राजनैतिक अधिकारः— ये वे अधिकार है जो सभी नागरिकों को राज्य के मामले में सहभागी होने में सक्षम बनाता है। के लोकतांत्रिक राज्यों में ही नागरिक इन अधिकारों का लाभ उठा सकता है। इसके अर्न्तगत व्यक्ति कोमत देने का अधिकार निर्वाचित होनेका अधिकार जन नीतियों पर चर्चा करने का अधिकार आदि सम्मिलित है।

(स) आर्थिक अधिकारः— आर्थिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते है प्रत्येक नागरिक की कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ होती है जिनकी पूर्ति के बिना कोई भी व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारो का लाभ नही उठा सकता है। सभी मनुष्यों को सम्पत्ति रखने का अधिकार तथा सम्मान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सभ्य शिक्षा तथा कही भी रोजगार करने का अधिकार प्राप्त है। जिससे वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

2 नैतिक अधिकारः– नैतिक अधिकार वे अधिकार है जो मानव चेतना पर आधारित है। मानवीय भावनाओंकी अच्छाई पर आधारित है। यह अधिकार कानून द्वारा प्रभावित नही होते इनका उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही नही की जा सकती है।

महिला अधिकार

महिला अधिकारों की स्थिति विभिन्न कालों में परिवर्तित होती रही है।

वैदिक काल :– वैदिक शब्द का अर्थ ही यह है कि घर या अन्य स्थलों में स्वामित्व क अधिकार पुरूष एवं महिला दोनों का हो यद्यपि इस काल में भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी फिर भी स्त्री एवं पुरूष में कोई भेदभाव नही था। लड़कों की तरह लड़कियों का भी (उपनयन) संस्कार होता था। उच्च शिक्षा एवं धार्मिक कर्मकाण्डों में दोनों की समान सहभागिता थी।

उत्तरवैदिक काल :– इस काल में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होने लगा महिलाओं के ऊपर पतिव्रता का मुखौटा लगा दिया गया और धर्म के नाम पर ये महिलाएँ केवल उपवास एवं व्रत ही रख सकती थी वे सार्वजनिक जीवन में भाग नही ले सकती थी।

मध्य काल :– मध्यकाल में महिलाओं की प्रस्थिति का तीव्रता से पतन हुआ। इस काल में अनेक मुस्लिम आक्रमण हुए महिलाओं के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध जैसे पर्दाप्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर लगा दिये गये तथा महिलाएँ चारदीवारी में बन्द हो गयी।

ब्रिटिश काल :– इस काल में स्त्रियों की स्थिति में सुधार होने लगा अनेक समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयास कियें गये तथा अनेक कानून भी बने।

वर्तमान काल :– स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में पुनःपरिवर्तन हुए। महिलाएँ सशक्त होने लगी है एवं पुरूषों के समान ही हर क्षेत्र में भाग भी ले रही है। महिलाओं की स्थिति को अधिक उच्च बनाने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के कानून भी बनाये जा रहे है तथा संविधान द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकारों का प्रावधान भी किया गया है।

अधिकार की अवधारणा मानव जीवन व व्यक्ति के व्यक्तित्व केविकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्णहै। अतः किसी भी महिला को मनुष्य होने के नाते समान अधिकार प्राप्त होने का हक है। महिलाएँ मानव आबादी का आधा हिस्सा है वह सभ्यता का उदगम स्थल हैवे समाज में महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक स्थान की अधिकारी है। किसी परिवार की नीवं एक महिला ही होती है फिर भी महिलाओं के साथ अन्याय एवं अत्याचार होते है उनके अधिकारों का हनन् किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन ने सभी केलिए समान अवसरों को व्यापक स्तर पर लागू करने कोविकास का मूल मुद्दा बनाया। आयु, जाति, भाषा, रंग आदि के आधार पर व्याप्त भेदभाव को काटता हुआ सर्वाधिक रूप में विश्वस्तर पर प्रचलित भेदभाव लिंग पर आधारित भेदभाव है और यह सभी समाजों में व्याप्त है। जब तक समान अवसरों को महिलाओं के लिए लागू नही किया जायेगा तब तक किसी प्रकार का विकास नही हो सकता है। महिलाओं पर अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार के खिलाफ न्याय प्राप्त करने हेतु एक नागरिक के रूप में उसकी सुनवाई का प्रावधान है। छोटी उम्र में विवाह तथा शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित करने पर आवाज उठाई जा सकती है साथ ही जातीय दुर्व्यवहार अत्याचार आदि परिस्थितियों में उसके अधिकारो की सुरक्षा का प्रावधान है। महिलाओं के अधिकार को संरक्षण देने का महत्वपूर्ण प्रयास तब किया गया जब सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था। इस आयोग का मुख्य कार्य है कि वह महिलाओं के लिए संविधान व अन्य विधियों के अधीन निर्मित नियमों एवं महिलाओं से सम्बधित शिकायतों पर जॉच करना। संविधान द्वारा महिलाओं को कुछ अधिकार प्रदान किये गये है जो निम्न है

अ सामाजिक अधिकारः– महिलाओं के सामाजिक अधिकार इस प्रकार है–

- समाज कार्य के लिए महिला पुरूष के समान वेतन।
- कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अगर महिला से काम नही लिया जाता हैतोभी वह वेतन की अधिकारी है।
- विवाह के समय मिलनेवालेसमान पर केवल महिला का अधिकार होगा

- बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929
- अनैतिक व्यापार पर नियन्त्रण का अधिकार 1956
- दहेज निरोधक अधिनियम 1961
- हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- हिन्दु विवाह अधिनियम 1956
- विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1956
- सती निवारक अधिनियम 1887

ब **महिलाओं के आर्थिक अधिकारः–** महिलाओं के निम्नलिखित आर्थिक अधिकार है–

- सम्पत्ति खरीदने व बेचने का अधिकार
- स्वयं केवेतन पर अधिकार
- समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार
- नौकरी एवं व्यवसाय में समानता के साथ ही पदोन्नति के भी समान अवसर का अधिकार
- पति की मृत्यु के बाद उसके अधिकार पर पत्नी का समान अधिकार
- रोजगार व्यापार एवं स्वयं के व्यवसाय का अधिकार
- मातृत्व अवकाश लेनेके दौरान नौकरी संरक्षण का अधिकार

महिलाओं के राजनैतिक अधिकारः– किसी भी राज्य मेंसमान राजनैतिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। ये अधिकार राज्य द्वारा स्वीकार किये जाते है महिलाओं के राजनैतिक अधिकार इस प्रकार है।

- विचार अभिव्यक्ति का अधिकार (अनुच्छेद–19)
- शान्तिपूर्ण समुह बनाने का अधिकार(अनुच्छेद–21)
- संगठन बनाने का अधिकार (अनुच्छेद–22)
- शासन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार (अनुच्छेद–25)
- मतदान का अधिकार
- निर्वाचित होने का अधिकार

महिलाओं के नागरिक अधिकारः– किसी भी राज्य में महिलाओं को समान नागरिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है ये अधिकार निम्नलिखित है–

- जीवन का अधिकार (अनुच्छेद–6)
- यातना के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद–7)
- दासता केविरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद–8)
- स्वतन्त्रता व सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–9 व 26)
- कानून के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14)
- विचार व धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–18)

चेतना

चेतना का अर्थ होता है किसी एक को उसकी भावनाएँ विशेषताए और इसके अस्तित्व के बारे में पता होना और इन सबका अर्थ समझने के लिए उनका सक्षम होना। चेतना को सीधी भाषा में समझे तो उसका मतलब होता है किसी भी पैटर्न को समझ लेना और उसे अपने साथ होती घटनाओं से जोड़ना। चेतना समग्र सृष्टि में प्रेरणात्मक एवं सृष्टि को चलाने वाली एक क्षमता है। चेतना के होने के लिए उसके कारण का होना जरूरी है। हमारी चेतना हमारे लिए इस दुनिया को अवलोकन करने योग्य प्रभाव पैदा करती है।

चेतना किसी के अस्तित्व, सोच एवं वातावरण और स्वयं के आन्तरिक ज्ञान के प्रति जागरूकता है। सामान्य भाषा में चेतना शब्द जागरूकता एवं अनुभव का पर्यायवाची है। चेतना स्वयं से किया हुआ अनुभव है अर्थात किसी घटना के बारे में अनुभव एवं अवलोकन करना ही चेतना है।चेतना न केवल हमारे सोच कल्पना समझ एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं से सम्बन्धित है अपितु यह एक ऐसा अनुभव है जो शारीरिक वातावरण से वाह्य है या इसे ऐसा ज्ञान कह सकते है जो आध्यात्मक की ओर मुड़ा है और यह ज्ञान चेतना की महत्वपूर्ण विशेषता है। चेतना का प्रयोग न केवल मनोविज्ञान में अपितु समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी अनेक समाजशास्त्रीयों जैसे चार्ल्स कूले, कार्ल माक्स, हुर्सल एवं शुट्ज द्वारा प्रयोग किया गया। मार्क्स ने भी दो वर्गों के बीच शासक एवं शोषित वर्ग के बीच भेदभाव को बताया चेतना के कारण शोषित वर्ग ने शोषकवर्ग का विरोध किया जिससे समाज में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार महिलाएँ भी जब अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगी तो वह उन अधिकारों का उचित ढ़ग से प्रयोग कर सकेगी तथा अपने विरूद्ध हो रहे अन्याय एवं अपराधों का विरोध कर सकेगी एवं स्वयं के प्रति हो रहे भेदभावों को समाप्त कर पुरूषों के समान स्थिति को प्राप्त कर सकेगी।

महिला सशक्तिकरणः—"सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से जिससे उसमें यह योग्यता आ जातीहै कि वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके"इसी रूप में अपनी निजी स्वतन्त्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है

सामान्य रूप में महिलाओं को वे सभी सामाजिक ,आर्थिक, राजनैतिक एवं न्यायिक सुरक्षा का अधिकार प्रदान करना जो पुरूषों को प्राप्त है। महिला एवं पुरूषों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना।

महिला सशक्तिकरण के मापदण्डः–

- शिक्षा का अधिकार
- रोजगार के अवसर की समानता
- सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का अधिकार
- सामाजिक,धार्मिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रम में समान सहभागिता
- निर्णय लेने की क्षमता का विकास
- सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार

समस्या कथन

भारत में मानव आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएँ हैं। महिलाएँ समाज एवं संस्कृति के उचित निर्वहन के एवं निर्माण के लिए अति आवश्यक भी है लेकिन उन्हे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षा एवं भेदभाव का सामना करना पडता है। महिलाओं को विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए विभिन्न अत्याचारों एवं प्रताड़नाओं का सामना करना पडता है। यह विचित्र विसंगति है कि जैसे जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए नवीन कानून बन रहे और प्रशासनिक उपाय किये जा रहे है वैसे वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों एवं उनके अधिकारों के हनन का ग्राफ बढता जा रहा है। सम्पूर्ण समाज में अपराध बढा है हिंसा व उत्पीडन के नित नये तरीके सामने आये है। महिलाओं के प्रति इस प्रकार का भेदभाव और हिंसा एक विश्व परिघटना बन चुका है। इसलिए हमारे देश में भी सभी कमजोर वर्गों में अनुसूचित जाति की महिलाओं का भी एक ऐसा वर्ग है जो उससे अधिक प्रताड़ित है। विकास के इस दौर में आज भी अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव एवं अन्याय किये जा रहे है। उन्हें सभी

प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है यद्यपि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अनेक प्रावधान किये गये है। लेकिन व्यवहारिक रूप में इनका क्रियान्वयन नहीं होता है। अतः आज देश दोराहे पर खडा है जहाँ न तो महिलाओं की मर्यादा की सामंती अवधारणा ही कायम है और न ही स्वतन्त्र रूप से महिलाओं की चेतना का समाजीकरण हुआ है जिससे वह सामूहिक संगठनों में संगठित हो सके। विविध नियमों एवं कानूनो के बावजूद न्यायिक एवं प्रशासनिक ढ़ाचा उत्पीड़ित महिला को न्याय नही दिला पा रहा है जब वह अपने विरूद्ध किये गये अन्याय एवं अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए सक्रिय होती है तो सबसे पहले उसे परिवार के सदस्य ही उसे हतोत्साहित कर देते है और आमतौर पर पुलिस एवं न्यायालय का व्यवहार भी पीड़ित महिला के प्रति सहानुभूति पूर्ण नही होता है अतः महिलाएँ चुपचाप अपने प्रति हो रहे अन्याय को सहन करती है। अतः इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्ती द्वारा यह विषय चुना गया।

अध्ययन का महत्व

ईश्वर ने मानव को दो रूप दिये एक पुरूष दूसरा स्त्री। ये दोनो ही एक दूसरे के पूरक है। पुरूष एवं महिला दोनों मिलकर ही परिवार समाज एवं संस्कृति का निर्माण करती है। कहा जाता हैकि "जहॉ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है।" वर्तमान समय में महिलाएँ अपनी सृजनात्मक रचनात्मक एवं बौद्धिक प्रयास से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवंआर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। राजनीति जैसे पुरूष प्रधान समाज में भी अपनी सशक्तता दर्ज करा रही है। आज महिला शिक्षा प्राप्त कर न केवल अपना विकास कर रही है अपितु शिक्षा प्राप्त कर समाज को विविध पहलुओं में समायोजन करने हेतु तैयार भी कर रही है।

अतः किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना महिलाओं के विकास के बिना नही की जा सकती है। अतः महिलाओं की इस महत्ता को देखते हुए संविधान द्वारा महिलाओं को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किये किये है फिर भी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है कभी अन्य व्यक्तियों द्वारा तथा कभी स्वयं की चेतना के अभाव के कारण अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पडता है अतः महिलाएँ जब अपने

अधिकारों के प्रति सचेत होगीं तो वह अपने विरूद्ध हो रहे भेदभाव एवं अन्याय का विरोध कर सकेगीं तथा समाज मे अपनी सशक्त स्थिति कायम करेगीं।

अतः शोधार्थिनी द्वारा अपने अध्ययन हेतु समस्या महिला अधिकार के प्रति चेतनता एवं सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पर ध्यान देते हुए इसके महत्व को स्पष्ट किया है तथा इसके द्वारा शोधार्थिनी द्वारा यह बताने का प्रयास किया जायेगा कि महिलाओं मे अपने अधिकारों के प्रति चेतनता का स्तर क्या है एवं इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन करने से महिला अधिकार एव ंचेतना से सम्बन्धित यथार्थ तथ्यों की प्राप्ति होगी।

साहित्य का पुर्नावलोकन

- **आहुजा (1995)** लेखक ने अपनी पुस्तक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को प्रदत्त सभी प्रकार के अधिकारों जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक की विस्तृत विवेचना की है आज महिलाएँ राजनीति जैसे पुरूष प्रधान क्षेत्र में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है उनको अपने राजनैतिक अधिकारों की भी जानकारी है तथा वह इन अधिकारों को व्यवहारिक रूप में कितना प्रयोग कर रही है इसका वर्णन किया गया है।
- **कौशिक (1997)** ने महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता कोदर्शाने का प्रयास किया है महिलाएँ आज सभी क्षेत्रो चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक, राजनैतिक अपनी भूमिका निर्वहन कर रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की परिवार में भूमिका महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता ग्रामीण शिक्षा लिंग और शिक्षा एवं महिला विकास आदि का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।
- **देवसिया एण्ड देवसिया (1998)** प्रस्तुत पुस्तक सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकारों पर आधारित है भारत में सामाजिक न्याय महिला अधिकारों का एक महत्वपूर्ण घटक है इसके बिना मानव अधिकार की कल्पना नही की जा सकती है। महिलाओं के अधिकार संसाधन संगठन

सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अवसर सामाजिक न्याय के प्रावधानों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को समझाने का प्रयास किया जाता है इस सन्दर्भ में सामाजिक न्याय के वृद्धि एवं मानव अधिकार की उन्नति द्वारा महिला विकास की उन्नति की जा सकती है। प्रस्तुत पुस्तक में महिलाओं के सामाजिक न्याय एवं उनके मानव अधिकारों सफलतापूर्वक विश्लेषण किया गया है।

- **सिद्दकी** (2001) लेखिका ने महिला एवं मानव अधिकार की आवश्यकता को देखते हुए इसे वर्तमान समय का महत्वपूर्ण अध्ययन बिन्दु माना है आधुनिक एवं विकसित समाज में लिंग न्याय एवं समानता एक महत्वपूर्ण सूचक बन गया है जो कि संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान संसोधन द्वारा प्रदान किये गये है। आज महिलाओं को राजनीति में निर्वाचन का अधिकार एवं संसद में सदस्यता ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। इनके कुछ अध्ययनों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में सहभागी महिलाएँ भी प्रतीत होती है महिलाओ द्वारा अनेक संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है जिनके माध्ययम से वे स्वयं तथा अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर रही है।

- **महापत्रा** (2001)अपनी पुस्तक में यह वर्णन किया है कि वर्तमान समय में महिलाएँ राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है महिलाएँ स्वयं से तथा शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जागरूक हो रही है एवं इसके अतिरिक्त कई सरकारी विधानों एवं नीतियों के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने कस प्रयास किया जा रहा है महिलाओं की राजनीति में सहभागिता में वृद्धि करने हेतु महिलाओ ंके लिए 33 प्रतिशत सीटे आरक्षित की गयी है।

- **गौतम** (2003)ने विवेचित किया है कि मानव अधिकार आयोग तथा भारतीय संविधान में धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, क्षेत्र आदि किसी आधार पर पक्षपात का विरोध करते हुए नागरिक समानता की घोषणा है पर व्यवहार में ऐसा नही होता यह केवल कागजी बाते है जो वही तक सीमित रहती है। भारत जैसे विकसशील देश में महिला अधिकारों का हनन एवं उत्पीडन की दर कुछ कम नही है अतः मानव अधिकार आयोग द्वारा विश्व में स्त्री पुरूष समानता की बात की जाती है।

- **मेहता** (2004) यह वर्णन किया है कि समाज में महिला को दोयम वर्ग का समझा जाता है तथा उसे असहाय एवं कमजोर समझकर उसका शोषण उत्पीडन अन्याय एवं उसके अधिकारों का

हनन किया जाता है चुकि महिलाएँ समाज का महत्वपूर्ण भाग है अतः उनके अन्याय एवं उत्पीडन को कम करने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाए बनायी जाती हैइस पुस्तक में महिलाओं के लिए बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं जैसे बाल विवाह अधिनियम, सती निरोधक, महिला सामाख्या योजना, अनैतिक व्यापार अधिनियम, कारखाना अधिनियम, विधवा पुर्नविवाह अधिनियम आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है।

- **चेटर्जी, (2005)** ने अपनी पुस्तक में कहा है कि सदियों से पुरूषों ने विभिन्न प्रयासों से महिलाओं को अपने अधीन बनाया हुआ है सामाजिक प्रथाओं एवं कुरीतियों ने महिलाओं को चारदीवारी के भीतर रखा है किन्तु पिछले कुछ दशकों से यह जब से औद्योगिक क्रान्ति हुयी तो महिलाओं की बहुत बडी संख्या ने नौकरी में प्रवेश किया जो पहले केवल पुरूषों का शासन क्षेत्र माना जाता था। धीरे धीरे महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में दावा प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया और यह शुरूआत पश्चिम देशो से प्रारम्भ होकर सभी देशो में विस्तारित हो गयी। इसके अलावा इस पुस्तक में मानव अधिकारों का वर्णन किया गया है तथा ये मानव अधिकार महिलाओं को समान दर्जा दिलाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है इसके साथ ही इसमें महिला मानव अधिकार अर्न्तराष्ट्रीय कानून और महिलाओं के अधिकार आदि व्याख्यायित है।
- **लावानिया (2005)** ने अपनी पुस्तक में विभिन्न कालों में महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों की विवेचना की है तथा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार बताये है। जो कि देश एवं समाज के विकास का सूचक है इसके अभाव में कोई भी देश या समाज पूर्ण रूप से विकसित एवं आधुनिक होने का दावा नही कर सकता है।
- **गुप्ता (2005)** ने भारतीय महिलाएँ शोषण, उत्पीडन एवं अधिकार में, महिलाओं के अधिकारों का वर्णन विभिन्न कालों में की है प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी उन्हे वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो पुरूषों को थे वह धार्मिक कार्यों एवं शस्त्र विद्या में समान रूप से सहभागी थी लेकिन मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गयी अनेक प्रकार की रूढ़िया में महिलाएँ जकड़ गयी परन्तु वर्तमान समय में महिलाओं ने आधुनिकता को तो अपनाया लेकिन

इसके साथ ही समाज में अपराध में वृद्धि होती गयी और इन अपराधियों ने महिलाओं को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा इस पुस्तक में महिला अधिकारों की स्थिति एवं उसमें हो रहे परिर्वतनों का गहन वर्णन प्रस्तुत है।

- **झा (2005)** लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में महिलाएँ जिन्होंने आधुनिकता को अपना लिया है वह किस प्रकार अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गयी है वह अपने विरूद्ध होने वाले अपराधो तथा अधिकारों के हनन के विरूद्ध जागरूक हो गयी है और इसका विरोध भी करती है। आज महिलाएँ परिवार एवं कार्यस्थल पर पुरूषों के समान अपनी भागेदारी सुनिश्चित कर रही है यह पुस्तक एक सर्वेक्षण पर आधारित है जो बिहार के दो सौ उच्च्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं पर किया गया जिसमें यह बताया कि प्राचीन काल में घर के कार्य ही करती थी लेकिन वर्तमान समय में अधिक से अधिक महिलाएँ घर के बाहर के कार्यों में भी संलग्न है तथा लिगं असमानता एवं भेदभाव भी अपेक्षाकृत कम हो गया है।
- **शेण्डे, (2006)** लेखक ने व्याख्यायित किया है कि नारी जगत की जननी है जो सम्पूर्ण विश्व का पालन पोषण करती है इसके वाबजुद भी समाज में महिला का शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है चाहे वह ग्रामीण एवं शहरी हो। अतः शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जसके द्वारा नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है।
- **कुमार (2006)** ने महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति का वर्णन किया है इस पुस्तक में महिलाओं से जुडी हुई अनेक समकालीन मुद्दे एवं उनके अधिकारो के विषय में चर्चा की गयी है इसके साथ ही इसमें में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन, महिलाओं की उन्नति एवं सशक्तिकरण के लिए किये गये कार्यक्रमों, महिलाएँ तथा उनसे सम्बन्धित सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे दहेज, ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं में सशक्तिकरण महिलाओ की उन्नति का स्तर आदि वर्णित हैं, तथा 21 वी शदी में महिलाओं के उन्नति एवं विकास के स्तर का आकलन करने का प्रयास किया गया है।

- **रानी (2006)** ने महिला विकास कार्यक्रम में यह बताया है कि महिलाओं को समाज में सशक्त करने के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम बनाये गये हैजिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है तथा महिलाएँ भी समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर सकती है

- **शर्मा (2008)** ने नारी की प्राचीन समय की स्थिति की तुलना वर्तमान समय के परिपेक्ष्य में करते हुए बताया है कि किस प्रकार महिलाएँ समय एवं विचारधाराओ के परिर्वतन होने से उच्च स्थिति से निम्न स्थिति की ओर बढ़ने लगी अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियॉ जैसे बाल विवाह सती प्रथा भ्रूण हत्या पर्दा प्रथा से ग्रसित हो गयी उनका स्वयं पर भी कोई अधिकार नही रह गया। चुकि वर्तमान समय में अनेक तकनीकी एवं आधुनिकता में वृद्धि हुई महिला विकास के विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन समाज का एक महत्वपूर्ण भाग जो कि महिलाओं का है वह अभी भी निम्न स्थिति एवं समस्याओं से ग्रसित है।

- **सिंह,(2008)** इस पुस्तक में लेखिका ने यह वर्णित किया है कि स्वतन्त्रता के इतने वर्षों पश्चात भी भारत ही नही अपितु सभी देशों में महिलाओं का शोषण एवं उनके अधिकारों का हनन होता रहा है चाहे वह महिला दलित वर्ग की अनपढ़ या पढ़ी लिखी उच्च जाति की हो सभी शोषण का शिकार होती है। अतः इनके सुरक्षा एवं अन्याय के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुछ विशेष प्रकार के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में महिलाएँ आधुनिकता को अपना रही है तथा उनके जागरूकता भी उत्पन्न हो रही है जिससे वह अपने विरूद्ध हो रहे अन्याय एवं भेदभावों का विरोध कर रही है एवं कानूनी सहायता ले रही है।

- **शेण्डे (2008)** लेखक ने वर्णित किया है कि नारी सशक्तिकरण महिलाओं की जीवन शैली एवं उनके महत्व से लेकर महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों एवं हिंसा के रोकथाम हेतु बनाये गये नियमों एवं कानूनो का वर्णन किया है।

- **आचार्य एवं ठक्कर (2008)** ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का वर्णन किया हैं। इनका मत है कि महिलाओं को पूर्णतः सशक्त करने हेतु राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, नारीवादियों एवं समाज के लोगों को मिलकर महिलों के लिए न्याय एवं उनमें सशक्तिकरण वृद्धि करने का प्रयास

किया जाना चाहिए। इसके लिए कानून एवं नियम शिक्षा एवं उनमें निर्णय करने की योग्यता एवं स्वयं संरक्षण की शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

• **यादव एवं राय (2008)** ने महिला सशक्तिकरण की अवधारणात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की है इसके साथ ही विभिन्न सरकारी प्रयासों जों महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित है को भी अपनी पुस्तक में सम्मिलित किया लेकिन इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जो भी संवैधानिक प्रयास, वैधानिक नीति, योजनायें एवं कार्यक्रम बनाये गये वह केवल कागजी रूप में है। जबकि महिलाओं की जो पारिस्थितिक सत्यता है वह अभी भी पूर्ण रूप से सुधारात्मक नहीं हैं।

• **शर्मा (2009)** लेखक द्वारा महिलाओं एवं उनको प्रदत्त अधिकारों का वर्णन किया गया है इसके बावजूद भी महिलाएँ अत्याचार एवं शोषण से ग्रसित है। महिलाएँ हालांकि आबादी का आधा हिस्सा है फिर भी उन्हे जीवन के हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पडता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 10 वीं रिपोर्ट के अनुसार भेदभाव का सबसे मुख्य कारण लिंग भेद है।

• **जैन एवं जैन (2009)** इन्होंने महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा एवं शिक्षा अधिकारों की भूमिका को व्याख्यायित किया है। इनका मानना है कि महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनायें एवं शिक्षा का अधिकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

• **भट्टीवाला (2013)** ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों की विवेचना की तथा 1980 के दशक से अब तक के महिला सशक्तिकरण की अवधारणा के उद्विकास को विश्लेषित करते हुए इसकी प्रारम्भिक अवस्था से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार का परिवर्तन होता रहा है। तथा किस प्रकार सरकार, विभिन्न राजनैतिक दल शैक्षणिक संस्थाएँ महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे है का विश्लेषण किया है।

• **बानु (2014)** ने अपनी पुस्तक में दक्षिण राजस्थान में महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गहन अध्ययन किया है तथा अपने अध्ययन के आकडों के आधार पर यह बताया कि समाज

की आधी आबादी जो कि महिलाएँ है उन्हे समाज में आज भी दोयम दर्जे का समझा जाता है वह न केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन अपितु जीवन के हर क्षेत्र में वे हाशिये पर है लेखिका ने भारत में नारीवादी आन्दोलन और महिला अधिकारों की भारत में स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला है तथा अपने निष्कर्ष में यह बताया है कि जब तक महिलाओं के लिए एक जिम्मेदार सरकार नही बनायी जायेगी तब तक भारत में किसी भी प्रकार का विकास सम्भव नही है।

- **शर्मा एवं मिश्रा (2016)** ने वर्णन किया है कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है पर वास्तविकता यह है कि महिलाओं को वह सम्मान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए। महिलाओं के विरूद्ध अपराध की दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के अधिकारों को वास्तव में विशेष स्थान नहीं मिल पाया है। प्रायः इन अधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। यद्यपि सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए अनेक कानून बनाये जा रहे है, लेकिन महिलाएँ इन सब प्रयासों से पूर्णत लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं। इसका प्रमुख कारण महिलाओं में इसके प्रति चेतना का अभाव है अगर उन्हें इसके बारे में कहीं से पता चल भी जाता है, तो परिवार एवं समाज की परम्पराएँ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है।

उद्‌देश्य

1 अनुसूचित जाति की महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतनता के स्तर का अध्ययन।

2 अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकारों के प्रति चेतनता का अध्ययन।

3 अनुसूचित जाति की महिलाओं को अधिकारों में उपयोग करने में होने वाली बाधाओं का अध्ययन।

4 अनुसूचित जाति के महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतनता एवं सशक्तिकरण के सम्बन्धों का अध्ययन।

5 अनुसूचित जाति की महिलाओं के अधिकारों एवं सशक्तिकरण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का अध्ययन।

परिकल्पना

1 अनुसूचित जाति की महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतनता का स्तर औसत से निम्नतर होता है

2 अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकारों के प्रति विभिन्न प्रयासो के उपरांत भी चेतनता का अभाव पाया जाता हैं।

3 अनुसूचित जाति की महिलाएँ चेतना के अभाव, अज्ञानता एवं परम्पराओं के कारण अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती है।

4 अनुसूचित जाति की महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतनता एवं सशक्तिकरण की संवर्धनशीलता में कामगार होता है।

5 अनुसूचित जाति की महिलाओं के अधिकारों एवं सशक्तिकरण हेतु समय–समय पर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का निर्माण होता रहा है।

शोध विधि

शोध प्रचनाः–

प्रस्तावित शोध हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्रः–

प्रस्तावित अध्ययन ‘‘अनुसूचित जाति की महिलाओं मे महिला अधिकारों के प्रति चेतनता एवं सशक्तिकरण एक समाजशास्त्रीय अध्ययन आगरा नगर के विशेष संदर्भ मे’’ का अध्ययन करने हेतु आगरा की 6 मलिन बस्तियों का चयन किया जाएगा।

अध्ययन की इकाईः–

शोधार्थिनी द्वारा आगरा नगर की मलिन बस्तियों मे निवास करने वाली 18–50 आयु वर्ग की अनुसूचित जाति की महिलाओं का अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन का समग्रः–

प्रस्तावित शोध हेतु आगरा नगर के कुल पंजीकृत मलिन बस्तियों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं का चयन किया जायेगा। जिनकी कुल संख्या 55931 हैं

निदर्शनः–

प्रस्तावित शोध हेतु आगरा नगर की कुल पंजीकृत मलिन बस्तियों की संख्या 211 हैं। जिसमे से दैव निदर्शन के लॉटरी विधि द्वारा 6 मलिन बस्तियों का चुना गया है। तथा प्रत्येक क्षेत्र से 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं का अध्ययन किया जाएगा।

क्रम सं0	मलिन बस्ती	कुल अनु0 जाति जनसंख्या	अनु0 जाति के पुरूषों की संख्या	अनु0 जाति की महिलाओं की संख्या	अनु0 जाति0 की महिलाओं की संख्या का 5 प्रतिशत
1.	नगला बूढ़ी	2344	1247	1097	54
2.	कौशलपुर	2457	1333	1124	56
3.	गरीब नगर	2852	1479	1373	68
4.	के के नगर	1793	973	820	41
5.	जगनपुर	1750	939	811	40
6.	बजीरपुरा	3671	2042	1629	76
	कुल	11196	5971	4487	335

Resource: District & Urban Development Agency List by Nagar Nigam Office of Agra.

अध्ययन के स्रोतः–

शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन के स्रोत के रूप मे प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का चयन किया जाएगा। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची, असहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाएगा द्वितीयक स्रोत के रूप मे पुस्तकों, पत्रिकाओं व इंटरनेट तथा अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा।

तथ्यों का विश्लेषण एवं सारणीयनः–

तथ्यो का अधिक स्पष्ट करने हेतु प्राप्त तथ्यो का सांख्यिकीय विश्लेषण वं सारणीयन किया जाएगा।

तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शनः–

तथ्यो का विश्लेषण वं सारणीयन के पश्चात तथ्यों का विभिन्न प्रकार के चित्रों ग्राफ,पाई चित्र आदि के माध्यम से चित्रमय प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रस्तावित अध्ययन

प्रथम अध्याय :-

- प्रस्तावना
- समस्या कथन
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य का पुर्नावलोकन
- अध्ययन के उद्देश्य

द्वितीय अध्याय : -

- अध्ययन की परिकल्पना
- अध्ययन का क्षेत्र एवं समग्र
- अध्ययन की इकाई
- निदर्शन
- तथ्य संकलन
- तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं सारणीयन
- तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन

तृतीय अध्याय :-

अनुसूचित जाति की महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतनता के स्तर का अध्ययन।

चतुर्थ अध्यायः-

अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों के प्रति चेतनता का अध्ययन।

पंचम अध्यायः-

अनुसूचित जाति की महिलाओं को अधिकारों को उपयोग करने में होने वाली बाधाओं का अध्ययन।

षष्ठ अध्यायः-

अनुसूचित जाति के महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतनता एवं सशक्तिकरण के सम्बन्ध का अध्ययन।

सप्तम अध्यायः—

अनुसूचित जाति की महिलाओं के अधिकारों एवं सशक्तिकरण हेतु सरकारी एवं गैर—सरकारी प्रयासों का अध्ययन।

- निष्कर्ष
- सन्दर्भ ग्रन्थ

परिशिष्टः—

- साक्षात्कार अनुसूची
- जनसंख्या से सम्बन्धित सारणी

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- कौशिश विजय,(1998),"वुमैन मुवमेन्ट एण्ड ह्यूमन राइट्स'',पोस्टर पब्लिशर्स,जयपुर
- आहुजा राम,(2000),"आधुनिक भारत की सामाजिक समस्याए'',मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- सिद्दकी फातिमा,(2001),"वुमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स, कनिष्क पब्लिशर्स नई दिल्ली
- चतुर्वेदी सतीश,(2002),"मानवाधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ'', पोइन्टर पब्लिर्शस,जयपुर
- धावन, हरिमोहन, (2002) महिला सशक्तिकरणः विविध आयाम, मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन, उज्जैन
- डा. मंजुलता,(2004),"अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न '',अंकन पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली
- मेहता चेतन सिंह,(2004),"महिला एवं कानून, आशीष'', पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली
- लाल सुन्दर, 2005),"सोशल स्टेटस का वूमेन '',ए• बी• ओ पब्लिशर्स, जयपुर
- सिंह मीनाक्षी निशान्त,(2006),"महिला सशक्तिकरण का सच '', आयोग पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
- गौढ़ संजय,(2006),"आधुनिक महिलाएँ एवं समाजः उत्पीड़न अत्याचार एवं अधिकार'',बुक एनक्लेव जयपुर
- शेण्डे रामजी हरिदास,(2006),"नारी सशक्तिकरण'',ग्रन्थ पब्लिकेशन्स हाऊस,जयपुर
- कुमार ए•, (2006),"इण्डियन वुमैनः स्टेटस एण्ड कण्टेमपररी सोशल इश्यूज, अनमोल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
- सारस्वत स्वप्लिन,(2007),"महिला विकास एक परिदृश्य नमन प्रकाशन नई दिल्ली
- करात वृन्दा, (2008),"भारतीय नारीः संघर्ष और मुक्ति '', ग्रन्थ शिल्पी पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- सिंह मिनाक्षी निशान्त,(2008),"आधुनिकता एवं महिला उत्पीड़न'', ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

- नेमा जी• पी• एवं शर्मा के• के,(2008),"मानवाधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार", कालेज बुक डिपो जयपुर
- देवसिया वी•पी• एण्ड देवसिया लीलाम्मा, (2012),"वुमेन सोशल जस्टिस एण्ड ह्यूमन राइट्स, नई दिल्ली।
- बानु जेनब,(2014),"डिरपरावेशन आफ वुमेन्स ह्यूमन राइट्स एण्ड स्ट्रेटजीज फार रेसुलेशन",कनिष्क पब्लिकेशन्स,दिल्ली
- Singh nagendra .(1969). Human right and international co-operation. New Delhi: Amol publisher.
- kapur, P. (1970). Marriage And Tha Working Woman In India. Delhi: Vikas Publication.
- Jha, K.N. (1985). Woman Towards Modernization. Patna: Janki Prakashan.
- Weedon, C. (1987). Feminist thought and post-structuralist theory. Oxford: Oxford black well publishers.
- Jogdand, P.G. (1995). Dalit Women: Issues & Perspective. New Delhi: Gyan Publishing House.
- Fernandes, Water. (1996). The Emerging Dalit Identity. New Delhi: Indian Social Institute.
- Pillai Jaya Kothari .(1996). women and empowerment. New delhi: Gyan publishing house .
- Ghosh, G.K. & Ghosh, Shukla. (1997). Dalit Women. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation.

- Jain, P.C.& Jain, S. et. al. (1997). Scheduled Caste Women. Jaipur: Rawat Publication.
- Kaushik, Vijay. (1997). Womens movements and human right. Jaipur: pointer publishers
- Jois, M.R. (1998). Human Right And Indian Value Nation Council Of Teacher Education. New Delhi.
- Khanna,S.K. (1998). Woman and human right. New Delhi: Commonwealth publishers.
- Michal, S.M. (1999). Dalit in Modern India: Vision & Values. New Delhi: Sage Publication.
- Cooley ,C.H. (2002). Social consciousness. American journal of sociology cited by 4.
- Dhal sangita. (2004). Womens empowerment in the panchyati raj system. New Delhi: Kanishka publishers.
- Jha , K.N. (2005). Modernizing women searching their identities. Jaipur: Rawat publication.
- Saguna , B.(2006). Empowermental rural women through self help group. New Delhi: Discovery publishing house.
- Michelena. R.(2007). The human right readers . U.K.: Routledge publication.

- Kreitler,S. and maimon, O. (2012). Conciousness: its natures and functions. New Delhi: Nova publishers.